<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

<u>10.01.2024</u>

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), नागपुर ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत 08.01.2025 से 09.01.2025 तक चंद्रपुर और नागपुर में अभिषेक विनोदकुमार ठाकुर, रोहित विनोदकुमार ठाकुर और उनकी संबंधित संस्थाओं से जुड़े 07 वाणिज्यिक और आवासीय परिसरों में तलाशी अभियान चलाया।

ईडी ने महाराष्ट्र पुलिस द्वारा चंद्रपुर जिले में आईपीसी, 1860 की विभिन्न धाराओं के तहत मेसर्स वाइल्ड कनेक्टिविटी सॉल्यूशंस (डब्ल्यूसीएस) के साझेदार अभिषेक विनोदकुमार ठाकुर, रोहित विनोदकुमार ठाकुर के खिलाफ वित्तीय कदाचार के जरिए सरकार को धोखा देने के आरोप में दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की। कथित धोखाधड़ी 12.15 करोड़ रुपये (लगभग) की थी, जिससे वन विभाग को नुकसान पहुंचा।

ईडी की जांच से पता चला है कि 10.12.2021 के सर्विस लेवल एग्रीमेंट के जरिए डब्लूसीएस को ताडोबा अंधारी टाइगर रिजर्व द्वारा आगंतुकों को निर्बाध सेवाएं प्रदान करने के लिए नियुक्त किया गया था, जिसमें प्रवेश शुल्क, जिप्सी शुल्क और गाइड शुल्क एकत्र करना शामिल था। हालांकि, कंपनी के मालिक अभिषेक विनोदकुमार ठाकुर और रोहित विनोदकुमार ठाकुर जो चंद्रपुर शहर के निवासी थे, ने समझौते की शर्तों का उल्लंघन किया और ताडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व कंजर्वेशन फाउंडेशन को वर्ष 2020-21 से 2023-24 के दौरान 12.15 करोड़ रुपये (लगभग) की धोखाधड़ी की।

तलाशी की कार्यवाही के दौरान, यह पता चला कि डब्लूसीएस के निदेशकों ने धोखाधड़ी से प्राप्त राशि का उपयोग व्यक्तिगत संपत्तियों के अधिग्रहण और अपनी अन्य संस्थाओं के नाम पर लिए गए पिछले ऋणों के भुगतान के लिए किया था। 1.42 करोड़ रुपये मूल्य के सोने, हीरे और प्लेटिनम के आभूषण/बुलियन जैसी मूल्यवान वस्तुएं और विभिन्न संपत्ति के दस्तावेज जब्त किए गए। इसके अतिरिक्त, डिजिटल और दस्तावेजी दोनों रूपों में आपत्तिजनक साक्ष्य बरामद किए गए और उन्हें जब्त कर लिया गया।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।